

कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
(डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय)

संख्या.....82...../डॉ०आर०पी०सी०ए०यू०


पूसा

दिनांक 15/10 सितम्बर, 2017

अध्यादेश
(कमांक 09/2017)

चूंकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में चयन समिति के गठन की विधि एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के अर्हता से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है ।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2016 की धारा 18(8) जो कि धारा 21(2) के साथ पठनीय है में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा इस अध्यादेश के परिशिष्ट-1 पर संलग्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के गैर-शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती नियमावली अधिसूचित करता हूँ ।



(आर० सी० श्रीवास्तव)
कुलपति


ज्ञाप सं०.....441...../डॉ०आर०पी०सी०ए०यू० पूसा दिनांक 15/10 सितम्बर, 2017
प्रतिलिपि अधिष्ठाता/निदेशक/उप कुलसचिव/नियंत्रक/ महाविद्यालय के अधिष्ठाता/अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, डॉ० राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


कुलसचिव

ज्ञाप सं०.....441...../डॉ०आर०पी०सी०ए०यू० पूसा दिनांक 15/10 सितम्बर, 2017
प्रतिलिपि उप सचिव (स्थापना)/ उप सचिव, कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि विभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।


कुलसचिव

ज्ञाप सं०.....441...../डॉ०आर०पी०सी०ए०यू० पूसा दिनांक 15/10 सितम्बर, 2017
प्रतिलिपि डॉ० एस० के जैन, प्रभारी पदाधिकारी, एरीस सेल को विश्वविद्यालय के वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


कुलसचिव